

Ref/UTCL/DLCW-FC/01-2024

Date - 09-02-2024

Divisional Forest Officer Obra, Sonbhadra Uttar Pradesh

Sub: Forest Proposal No.- FP/UP/MON/47074/2020 under Forest Conservation Act, 1980 for diversion of 344.688 Ha of forest land for mining purposes.

Ref:

- 1- Proposal No. FP/UP/MON/47074/2020, MOEF & CC File No. 8-26/2021-FC, EDS raised on dated 14.11.2022
- 2- Your Letter No. पत्रांक 1780 / ओबरा / 15 भू ० ह ० दिनांक 27/01/2024

#### Dear Sir,

In reference to the above subject project and referred letters, point wise EDS compliance for the diversion of 344.688 ha. Forest land within Bhalua & Kajrahat Mine area are as given below -

Sr. No.	EDS Raised by MoEF&CC	EDS Reply details
1 -	The DCF/CCF/Nodal Officer (Part IV) and the State Govt. (Part V) are required to give their clear and specific recommendation for the proposal, which has not been provided. The same shall be submitted.	Recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer and State Govt. recommendation has been uploaded in Form A: Part-II on Parivesh portal.  (The recommendation copies of DFO/CCF/Nodal Officer and State Govt. are attached for your ready reference and record purposes as <b>Annexure – 1</b> )
2	The copy of User Agency letter dated 17.08.2022 along with an Undertaking that No Mining/Work will done in total Area of 92.60 ha. involving 23.637 ha of Non-Forest land and 68.963 ha of Forest land falling within the Ecosensitive zone of Kaimoor Wildlife Sanctuary shall be submitted.	Undertaking that no mining activity or any other activity will be carried out in Kaimoor ESZ area. Condition No-2: No land use change is proposed in Kaimoor ESZ Area. Total area in ESZ is 92.60 ha wherein 23.637 ha is nonforest land and 68.963 ha is Forest land.





#### **UltraTech Cement Limited**



Sr. No.	EDS Raised by MoEF&CC	EDS Reply details
3	The status of Mining after Expiry of Mining lease in the year 1996 and 2002 in case of Kajrahat Limestone Mine and Bhalua Limestone mining respectively shall be submitted along with the status of violation of FCA 1980 in the proposed area.	The Kajrahat and Bhalua mining leases were transferred by the state Govt. to M/s JP Associates Limited vide GO dated 7th Nov. 2007 and 12th Dec. 2007 respectively pursuant to the orders dated 12.10.2007 of Hon'ble Allahabad High Court subject to the conditions that mining lease covered by Forest land will be transferred to M/s JP Associates Ltd. after the approval of Govt. of India.  The above said two mining leases were further transferred to M/s Ultra Teach Cement Ltd. by Govt. of UP vide GO No. 1333/86-2017-169/2016 dated 20.06.2017 pursuant to the orders of the National Company Law Tribunal Bombay dated 15.02.2017 and NCLT Allahabad (Now Prayagraj) dated 02.03.2017 Since no mining leases for forest area were executed, consequently no activities were carried out in the proposed Forest area and therefore, no violation of FC Act. 1980 in this area. (NCLT Order is enclosed as additional information). However, the mining pits noticed during joint inspection with Forest department were mined prior to 1980.
4	The copy Undertaking that the Mitigation Measures Plan for Kaimoor Wildlife Sanctuary area will be prepared and implemented at the cost of User Agency shall be submitted.	Copy of undertaking for Mitigation Measures Plan for Kaimoor Wildlife Sanctuary enclosed as <b>Condition No-4</b>
5	As per DSS Analysis it has been reported that the KML file of 13 patches having area less than 5 ha are still found uploaded on PARIVESH. The same needs to the revised on the PARIVESH Portal.	In Form A: Part-I at the PARIVESH portal site, the revised KML files following the removal of 13 patches (area less than 5 hectares) are posted. The KML files are also attached along with this document showing that the mentioned patches are adjoining and interconnected resulting in total area of more than 5 Ha.  The screenshot of the KML file with description of CA land patches is attached as <b>Annexure – 2.</b>





#### **UltraTech Cement Limited**



Sr. No.	EDS Raised by MoEF&CC	EDS Reply details
6	The State Govt. has provided the list of CA patches in non-forest land under Mirzapur district which have been found un-suitable for carrying out plantation work. It has been observed that the said areas proposed for CA are un-suitable for plantation and the same are not in conformity with the Ministry's Guidelines dated 13.07.2022. The areas suitable for plantation in conformity with guidelines issued by the Ministry are therefore required to be provided.	As per the earlier Ministry's Guidelines dated 13.07.2022 - The information regarding list of CA patches in non-forest land under Mirzapur district which are found un-suitable for carrying out plantation work and the reasons thereof have been provided by the DFO. (Inspection Report dated 22-02-2021 DFO, Kaimoor Wildlife & 10-03-2021 DFO, Mirzapur uploaded in Form A: Part-II).  The Forest Authorities were requested to carry out plantation on double degraded forest on the principle of "Tree for tree and land for land". Total 121 ha double degraded CA land given in Obra division for tree plantation uploaded in Form A: Part-II).  Now as per revised MoEF&CC (GOI) Guidelines dated 21/08/2023: "Provisions and guidelines on compensatory afforestation - reg."  Point no. 4(ii) which states that "In case the non-forest land or portion thereof provided by the user agency is not fit for raising compensatory afforestation of a specified density, then additional compensatory afforestation shall be raised on a degraded notified or unclassed forest land under the management control of the Forest Department which is twice in size of such shortfall in the given compensatory afforestation land and the user agency shall also bear the additional cost on such account."  In reference to this we undertake to abide by the revised aforementioned guidelines and copy of the undertaking is enclosed as Annexure no. 3
7	After superimposing the kml file of Mining lease over the Forest Compartment Boundary available on the DSS Portal, it has been observed that many forest patches within the Kajrahat and Bhalua Mining leases have not been included in the area proposed for diversion. According, less	Please refer to the Government Order No. 1333/86-2017-169/2016 issued by the Additional Chief Secretary (UP State Govt.) on June 20, 2017, which is copied below. In this order, the forest area for Bhalua and Kajrahat are specified as being 50.606 ha and 380.635 ha, respectively. There are 431.241 hectares of forests overall.



ement

#### **UltraTech Cement Limited**



Sr. No.	EDS Raised by MoEF&CC	EDS Reply details
	forest area has been applied for diversion (Copy enclosed). The same needs to be incorporated and revised proposal shall be submitted accordingly.	Eco-sensitive zone (68.963 ha) and Kanhar River (17.59 ha) were subtracted, leaving 344.688 ha available for the diversion of forest land. Thus, a request for forest clearance has been made for the whole forest area with the exception of the ESZ, the river in Bhalua, and the Kajrahat mining lease.
		Before our submission of the said forest area, it was duly inspected and verified by DFO, Obra and we had annexed as well the said report as <b>Annexure No. 4</b> .
8	The Mining plan of instant project was prepared and approved in the year 2007 in favour of M/s Jaiprakash Associate Ltd. In this regard the relevance and the validity of the Mining plan after a gap of 15 years needs re-examination. Further it has been intimated by the State Govt. that No mining /work will be done in the 92.60 ha area falling within the Ecosensitive zone. This 92.6 ha area is to be excluded from the mining plan. The mining plan is therefore required to be revised as per the present site	The mining plan for the Bhalua mining lease's executed area was approved on April 13, 2022, and its validity period ends on March 31, 2027 (copy enclosed as Annexure - 5).  The mining plan for the Kajrahat mining lease's executed working area was approved on October 13th, 2021, and is valid up to March 31st, 2026 (copy enclosed as Annexure - 6).  Please take note that the approved mining plan indicates that area falling under Eco-sensitive zone is a no-working zone. (Undertaking enclosed as Condition No. 2)

This is for your information and necessary compliance please.

Thanking you,

For UltraTech Cement Limited

Rajendra Kabra \*
(Authorized Signatory)



### भाग-॥ (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7.		परियोजना / स्कीम का स्थान-	में0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 द्वारा जनपद सोनभ
			में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत खनन कार्य है
			कुल 344.688है० वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव
	1	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
	- 11	जिला	सोनभद्र
***********	111	वन प्रभाग	ओबरा वन प्रभाग
	IV	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	344.688 हे0
		(हेक्टेयर में)	344.088 50
***************************************	V	वन की कानूनी स्थिति	
	VI	हिरयाली का घनत्व	आरक्षित वन
	VII	प्रजाति वार (वैज्ञानिक का नाम) आर परिधि श्रेणीवार	0.3
		वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई/जलीय	संलग्न है।
		परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल०—2 मीटर	
		परं परिगणना और एफ०आर०एल०-४ मीटर संलग्न की	
		जाए	
	VIII	भूसंरक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर	27 07 17 0 1
		संक्षिप्त टिप्पणी	भू—क्षरण के लिए संवेदनशीन है।
***************************************	IX	वनोतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा	
		से अनुमानित दूरी-	शून्य
÷	X	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण,	
		जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का	नहीं
		भाग है (यदि हॉ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव	
		वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	
	XI	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की	- 92
		दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है।	नहीं
		यदि हां/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	a a
	XII	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/ रक्षा	नहीं
		प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में	751
		स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा सक्षम प्राधिकरण	
		से अनापितत प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हों, दें।	
8.		प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित	न्यन्तम है
		वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य	च्यून्तम है
		और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के	
		ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	
9.		क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया	गुरुवात में समितित कर १४४,०००के भे में ने
		है (हां / नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी	26.579हें0 क्षेत्र पर गैर वानिकी कार्य होना पाया
		अधिकारियों पर की गयी कारवाई सहित कार्य का	गरा। विकास विकास माना के मार्थ मंगून के
		ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे	उक्त सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत
		हैं।	कराया गया है कि 26.579हें0 में सभी कार्य
			उ०प्र०सीमेन्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा वर्ष 1976 में
		9	किये गये थे। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा
	-		प्रेषित पत्र दिनांक—16.02.2021 मय साक्ष्य प्रस्ताव
			के साथ संलग्न है।
10.		प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	4, 41,2 (16), 1 6 l
	1	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर	संलग्न है।
		क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इनकी	ואַ דישט
		दूरी, भू—खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू—खण्डों की	
		संख्या, भू–खण्डों का आकार।	
	- 11	वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित/वनेतर/ अवक्रमित	संलग्न है।
		वन क्षेत्र, आस पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	प्रलग्न ह।
	111	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक	7-7-7
		वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय	संलग्न है।
		अनुसूची लागत ढांचा आदि।	
		20	



(प्रख्र (मिश्रा) प्रभागीय वनाधिकारी

	IV	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	658.62825 लाख
	V	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन	संलग्न है।
11.		संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित कि प्रतिपूरकया जाए) जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विषेशतः उपयुक्त कालम ७ (VI, XII) ८ और ७ में पूछे गये	संलग्न है
12.		तथ्यों को दर्षाते हुए संलग्न करें। विभाग/जिला प्रोफाइल	
12.	1	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	6788 वर्ग किलोमीटर।
	- 11	जिले का वन क्षेत्र	3782.86 वर्ग किलोमीटर
	111	नामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	69 मामले / 793.744है0
	IV	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण।	S y Se
	क	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	842.754 80
	ख	वनेत्तर भूमि पर	. News
	V	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
	क	वन भूमि पर	842.754हे0
	ख	वनेतर भूमि पर	
13.		प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष	प्रश्नगत 344.688हे0 वन भूमि पूर्व में स्वीकृत खनन पट्टो में सम्मिलित रही है तथा उक्त भूमि पर
0		सिफारिश।	तत्समय में उ०प्र० राज्य सीमेन्ट निगम लि० व उ०प्र० खनिज विकास निगम लि० द्वारा खनन
	8		कार्य भी किया गया है, ऐसे में सम्बन्धित अधिनियमों, नियमों एवं शासनादेशों का अनुपालन करते हुए खनन कार्य हेतु अनुमति दिये जाने पर विचार किया जा सकता है तथा प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 431 से 435 में उल्लिखित तथ्यों के
			दृष्टिगत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानो एवं तत्सम्बन्धी नियमो से सुसंगत होने की दशा में प्रश्नगत वन भूमि पर खनन कार्य किये जाने की अनुमित दिये जाने की संस्तुति की जाती है।

तिथि ...... स्थान *आविरा ।* 

हस्ताक्षर नाम सरकारी मोहर

प्रखर मिश्रा) प्रमागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग ओबरा—सोनभद्र



कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर पत्रांक-4933 / मी0क्षे0 / 33 / मीरजापुर, दिनांक, जून 18,

2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:— जनपद सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत में अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि०, डाला सोनभद्र के 344.688हे० आरक्षित वन भूमि के खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्तुत ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या— FP/UP/MIN/47074/2020 30वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने एवं बाधक 16534 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:— प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा के पत्रांक—2887/ओबरा/15 भू०ह० दिनांक—14.06. 2021,

महोदय,

ii.

प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा ने अपने कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा जनपद सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत 344.688है0 क्षेत्र वन भूमि के खनन कार्य अनुमित के सम्बन्ध में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् अनुमित प्रस्ताव FP/UP/MIN/47074/2020 है जिसकी परीक्षणोपरान्त वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्ताव 4 प्रतियों में मय सी०डी० संस्तुति सहित निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

## 1. प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण:--

i. उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक—24.10.1973 के कम में वर्ष 1976 में ग्राम—कोटा व पड़रछ (डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स से सम्बन्धित) में कुल 751 हे0 क्षेत्र का उ०प्र० राज्य सीमेन्ट निगम लि0, के पक्ष में 20 वर्ष हेतु लाईम स्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किया गया। वर्श 1996 में खनन पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी। तत्पष्चात उ०प्र० राज्य सीमेन्ट निगम लि0 द्वारा लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव उ०प्र० शासन को प्रेषित किया गया।

इसी प्रकार वर्ष 1982 में ग्राम—कोटा व बिल्ली मारकुण्डी (भलुआ लाईम स्टोन से सम्बन्धित) में कुल 643.433 हे0 क्षेत्र में उ०प्र० राज्य खनिज विकास निगम लि० के पक्ष में 20 वर्ष हेतु लाईम स्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किया गया। वर्ष 2002 में खनन पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी। तत्पश्चात उ०प्र० राज्य खनिज विकास निगम लि० द्वारा लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव उ०प्र० षासन को प्रेशित किया गया।

उल्लेखनीय है कि डाला कजरहट एवं भलुआ माईंस से सम्बन्धित ग्रामो की धारा 4 की अधिसूचना निम्नलिखित दिनांक को अधिसूचित की गयी थी:-



क0सं0	ग्राम का नाम	धारा ४ की अधिसूचना संख्या	दिनांक
1	कोटा	1. 270 / 14-2-4(15)-74	दि० 22.02.78
		2. 6288 / 14-2-4(15)-74	दि० 02.03.77
2	बिल्ली मारकुण्डी	1. 6865 / 14—ख—4(11)—70	दि० 21.12.73
		2. 3723 / 14-2-4(67)-69	दि० 05.11.69
3	पड़रछ	5380 /14-ख-4(27)-70	दि० 10.09.70

मा० सर्वोच्च न्यायालय के याचिका संख्या 1061/1982 वनवासी सेवा आश्रम बनाम् उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक—20.11.1986 के कम में हुयी वन्दोवस्ती की कार्यवाही में वन वन्दोवस्त अधिकारी/अपर जिला जज द्वारा वर्ष 1994 में प्रश्नगत क्षेत्र को आरक्षित वन बनाये जाने के पक्ष में निर्णय पारित किया गया।

iii. इसी दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला की फैक्ट्री के लगातार घाटे में चलने के कारण उसे Sick Industries घोषित किया गया तथा मा० उच्च न्यायालय के देख रेख में उक्त फैक्ट्री को Wound Up कर लिक्विडेट किये जाने का निर्णय लिया गया।

iv. उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला के लिक्विडेशन के दौरान डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स का कुल 751हे0 क्षेत्र तथा भलुआ माइन्स से सम्बन्धित 643.433 हे0 क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला की परिसम्पत्ति मानते हुए विज्ञप्ति किया गया। विज्ञप्ति में यह उल्लेख किया गया कि वन भूमि में निहित खनन पट्टे का नवीनीकरण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानो के अनुरुप भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा—निर्देश के कम में आवश्यक कीवाही करने के उपरान्त किया जायेगा। तत्कम में मा० उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला के लिक्विडेशन की कार्यवाही समाप्त की गयी तथा उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला की परिसम्पत्तियों को में० जे०पी० एसोसिएट्स लि० को हस्तान्तरित कर दिया गया।

V. तत्पश्चात दिनांक—02.12.2007 को डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स के खनन पट्टे के कुल क्षेत्रफल 751हे0 में से धारा 4 में अधिसूचित वन भूमि 380.635हे0 को छोड़कर गैर वन भूमि 370.365हे0 भूमि को 01.05.1996 से 20 वर्ष की अवधि तक के लिए उ०प्र० राज्य सीमेन्ट निगम लि0 के पक्ष में कतिपय शर्तों के अधीन नवीनीकृत किया गया।

इसी प्रकार दिनांक—07.11.2007 को भलुआ लाईम स्टोन माईन्स के खनन पट्टे का कुल क्षेत्रफल 643.433हे0 में से धारा 4 में अधिसूचित वन भूमि 50.606हे0 को छोड़कर शेष 592.827हे0 भूमि को 08.11.2002 से 20 वर्ष की अवधि तक के लिए उ०प्र० राज्य सीमेन्ट निगम लि0 के पक्ष में कतिपय शर्तों के अधीन नवीनीकृत किया गया।

उक्त कार्यवाही के दौरान यह अपेक्षित था कि डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स एवं भलुआ लाईम स्टोन माईन्स के वन भूमि पर खनन किये जाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत अनुमित प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

किन्तु में0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के स्थान पर डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स के अन्दर 380.435हे0 एवं भलुआ माइन्स के 19.657 वन भूमि को धारा 4 से पृथक किये जाने हेतु वन वन्दोवस्त अधिकारी/जिला जज के न्यायालय में क्लेम दाखिल किया गया

Coh Cement Sensor Senso

vi.

तथा उक्त भूमि को धारा 4 में विज्ञापित वन भूमि से पृथक करा लिया गया तथा उ०प्र० शासन द्वारा दिनांक—12.09.2008 को, वर्ष 2008 में ग्राम—कोटा का धारा 20 की अधिसूचना निर्गत कर वन वन्दोवस्त अधिकारी/जिला जज द्वारा पारित निर्णयों को स्वीकार कर लिया गया। जिसके फलस्वरुप डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स एवं भलुआ लाईम स्टोन माईन्स में कुल 400.092हे0 वन भूमि को गैर वन भूमि का दर्जा प्राप्त हुआ।

vii. प्रश्नगत प्रकरण में मा० सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष योजित रिट याचिका संख्या 2469/2009 को मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली को स्थानान्तरित किया गया तथा उक्त याचिका एफ०ए० संख्या 1166/2015 में परिवर्तित हो गयी, जिसमें पारित निर्णय दिनांक—04.05.2016 को मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा अपर जिला जज/जिला जज द्वारा भूमि को धारा 4 से पृथक किये जाने सम्बन्धी निर्णयो को निरस्त कर दिया गया तथा उ०प्र० सरकार को प्रश्नगत क्षेत्रों का आरक्षित वन में सम्मिलित करते हुए, पुनः संशोधित धारा 20 की अधिसूचना जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

viii. तत्पश्चात में० जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही को त्वरित करने हेतु मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष एम०ए० संख्या 471/2016 योजित किया गया। जिसमें दिनांक—30.05.2016 को निर्णय पारित कर प्रश्नगत क्षेत्र से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 06 माह के अन्दर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु उ०प्र० सरकार को निर्देशित किया गया।

ix. इस प्रकार में0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स में धारा 4 से पृथक कराया गया 380.435हे0 भूमि एवं भलुआ माईन्स कि 19.657हे0 वन भूमि, संशोधित धारा 20 की अधिसूचना निर्गत हो जाने के उपरान्त आरक्षित वन भूमि का दर्जा प्राप्त कर चुका है।

X. उल्लेखनीय है कि मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक—30.05.2016 में मे० जे०पी० एसोसिएट्स, लि० को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिया गया था। किन्तु वर्ष 2017 में जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों को में० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० को विकय कर दिया गया। अतः वर्तमान में में० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

xi. वर्तमान प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेन्सी(में० अल्ट्राटेक सीमेन्ट, लि०) द्वारा डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स में स्थित समस्त वन भूमि 380.635हे० में से इकोसेन्सिटिव जोन से 01 किमी० के अन्दर पड़ने वाले क्षेत्र को छोड़कर 294.082हे० भूमि पर तथा भलुआ लाईम स्टोन माईन्स में स्थित समस्त वन भूमि 50.606हे० पर गैर वानिकी (खनन) कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया है।

xii. डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स के खनन पट्टे का कुल क्षेत्रफल 751हे० में से धारा 4 में अधिसूचित वन भूमि 380.635हे० को छोड़कर गैर वन भूमि 370.365हे० भूमि पर वर्ष 2007 में उ०प्र० राज्य सीमेन्ट निगम लि० के पक्ष में खनन हेतु लीज नवीनीकृत किया गया था किन्तु डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स में 380.635हे० वन भूमि पर वर्ष 1976 में जारी की गयी खनन लीज (जो कि वर्ष 1996 में समाप्त हो चुकी है) को वर्ष 1996 के उपरान्त नवीनीकृत नहीं किया गया है। इसी प्रकार भलुआ लाईम स्टोन माईन्स के खनन पट्टे का कुल क्षेत्रफल 643.433हे० में से धारा 4 में अधिसूचित वन भूमि 50.606हे० को छोड़कर शेष 592.





827हें0 भूमि पर वर्ष 2007 में उ०प्र० खनिज विकास निगम लिं0 के पक्ष में खनन हेतु नवीनीकृत किया गया था, किन्तु 50.606हें0 वन भूमि पर वर्ष 1982 में जारी की गयी खनन लीज (जो कि वर्ष 2002 में समाप्त हो चुकी है) को वर्ष 2002 के उपरान्त नवीनीकृत नहीं किया गया है।

- 2. प्रस्ताव से सम्बन्धित 344.688हे0 आरक्षित वन के सापेक्ष गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण की स्थिति का विवरण:
  - i. प्रस्ताव से सम्बन्धित कुल 344.688हे0 क्षेत्र में से 235.737हे0 गैर वनभूमि भूमि मीरजापुर वन प्रभाग में तथा 108.951हे0 गैर वन भूमि कैमूर वन्य जीव प्रभाग में दी जा रही है।
  - ii. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि के सम्बन्ध में निम्नवत स्थिति स्पष्ट की गयी है:—

क0सं0	भूमि का क्षेत्रफल	वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या
1	133.307हे0	वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त
2	90.837हे0	वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त परन्तु अतिकमित
3	120.544हे0	वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त

iii. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त क्षेत्र 120.544 हे० के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार की गाईड लाईन का उल्लेख करते हुए, "Tree for tree and land for land" के कम में अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किये गये अनुरोध के कम में वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त गैर वन भूमि के समतुल्य ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत सकल क्षेत्रफल 120.544हे० (कुल 121हे०) वन भूमि को वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है।

iv. वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त किन्तु अतिक्रमित 90.837हे० गैर वन भूमि को वर्तमान में अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया है। उक्त के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage I) प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा अतिक्रमित भूमि को खाली कराकर वन विभाग को हस्तान्तरित किया जायेगा।

3. प्रस्ताव से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:--

- i. प्रस्ताव में सम्मिलित कुल 344.688है0 क्षेत्र में से 26.579है0 क्षेत्र पर गैर वानिकी कार्य होना पाया गया। जिसका विवरण प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
- ii. भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के सम्बन्ध में जारी हैण्ड बुक के चैप्टर 7 में 7.2 में निम्नवत उल्लेख किया गया है:—
  - 1.2 The Supreme Court of India in its order of 6<sup>th</sup> July 2011 issued guidelines so as to not create fait accompli situation in the matter of diversion of forest land under the FCA, 1980 Therefore, in the case of new mining leases/projects having forest land in part or in full, approval under FCA for diversion of entire forest land located within the mining lease/project is to be obtained before execution/renewal of mining lease/ project.



उल्लेखनीय है कि डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स में 380.635हे0 वन भूमि स्थित है किन्तु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में कैमूर वन्य जीव विहार के इको सेन्सिटिव जोन में स्थित 86.553हे0 वन भूमि को शामिल नहीं किया गया है तथा डाला कजरहट लाईम स्टोन माईन्स में स्थित 380.635हे0 वन भूमि में से 294.082हे0 वन भूमि का ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमित हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा द्वारा उपरोक्त उल्लिखित तथ्यो के दृष्टिगत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानो एवं तत्सम्बन्धी नियमो के अन्तर्गत सुसंगत होने की दशा में प्रश्नगत वन भूमि पर खनन कार्य किये जाने की अनुमति दिये जाने की संस्तुति की जाती है। प्रश्नगत प्रस्ताव को इस स्तर से ऑन लाईन सबमिशन कर 3 प्रतियों में एतद्सह संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-प्रस्ताव तीन प्रति।

(रमेश) चन्द्र झा) मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

संख्या– अ/समदिनांक

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा को उपरोक्त प्रस्ताव 03 प्रतियों में संलग्नकर इस आशय से प्रेषित है कि प्रश्नगत प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-प्रस्ताव तीन प्रति।

(रमेश चन्द्र झा) मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर



# भाग-।।।

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत में अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0, डाला सोनभद्र के 344.688हें आरक्षित वन भूमि के खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्तुत ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या— FP/UP/MIN/47074/2020 30वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने एवं बाधक 16534 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में।

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हॉ / नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षेणों को निरीक्षण नोट के रूप में	निरीक्षण दिनांक— 16.06.2021 निरीक्षण टिप्पणी संलग्नक है।
	संलग्न करे	
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग—ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारशें।	प्रश्नगत प्रस्ताव के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानो एवं तत्सम्बन्धी नियमी के अन्तर्गत सुसंगत होने की दशा में प्रश्नगत वन भूमि पर खनन कार्य किये जाने की अनुमति दिये जाने की संस्तुति की जाती है

दिनांक 18- ०६ २०२।

स्थान-मीरजापुर

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर



# निरीक्षण टिप्पणी

में0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 द्वारा जनपद सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत खनन कार्य हेतु कुल 344.688हे0 का वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव:—

दिनांक—16.06.2021 को प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा व प्रयोक्ता एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री राहुल सहगल, यूनिट हेड, श्री विवेक खोसला, फंग्सनल हेड खनन, श्री डी०के० पाण्डेय, जी०एम० खनन, श्री अतुल गहराना, जियोलाजिस्ट, श्री प्रदीप शर्मा, सर्वेयर के साथ प्रश्नगत क्षेत्र का मौके का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्न तथ्य प्रकाश में आया:—

i. उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक—24.10.1973 के कम में वर्ष 1976 में ग्राम—कोटा व पड़रछ (डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स से सम्बन्धित) में कुल 751 हे0 क्षेत्र का उ०प्र० राज्य सीमेन्ट निगम लि0, के पक्ष में 20 वर्ष हेतु लाईम स्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किया गया। वर्ष 1996 में खनन पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी। तत्पश्चात उ०प्र० राज्य सीमेन्ट निगम लि0 द्वारा लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव उ०प्र० शासन को प्रेषित किया गया।

इसी प्रकार वर्ष 1982 में ग्राम—कोटा व बिल्ली मारकुण्डी (भलुआ लाईम स्टोन से सम्बन्धित) में कुल 643.433 हे० क्षेत्र में उ०प्र० सज्य खनिज विकास निगम लि० के पक्ष में 20 वर्ष हेतु लाईम स्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किया गया। वर्ष 2002 में खनन पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी। तत्पश्चात उ०प्र० राज्य खनिज विकास निगम लि० द्वारा लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव उ०प्र० शासन को प्रेषित किया गया।

ii. उल्लेखनीय है कि डाला कजरहट एवं भलुआ माईस से सम्बन्धित ग्रामो की धारा 4 की अधिसूचना निम्नलिखित दिनांक को अधिसूचित की गयी थी:—

क0सं0	ग्राम का नाम	धारा ४ की अधिसूचना संख्या	दिनांक
, 1	कोटा	1. 270 / 14-2-4(15)-74	दि० 22.02.78
		2. 6288 / 14-2-4(15)-74	दि० 02.03.77
2	बिल्ली मारकुण्डी		दि० 21.12.73
		2. 3723 / 14-2-4(67)-69	दि० 05.11.69
3	पड़रछ	5380 / 14-ख-4(27)-70	दि० 10.09.70



मा० सर्वोच्च न्यायालय के याचिका संख्या 1061/1982 वनवासी सेवा आश्रम बनाम् उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक—20.11.1986 के क्रम में हुयी वन्दोवस्ती की कार्यवाही में वन वन्दोवस्त अधिकारी/अपर जिला जज द्वारा वर्ष 1994 में प्रश्नगत क्षेत्र को आरक्षित वन बनाये जाने के पक्ष में निर्णय पारित किया गया।

- iii. इसी दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला की फैक्ट्री के लगातार घाटे में चलने के कारण उसे Sick Industries घोषित किया गया तथा मा० उच्च न्यायालय के देख रेख में उक्त फैक्ट्री को Wound Up कर लिक्विडेट किये जाने का निर्णय लिया गया।
- iv. उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला के लिक्विडेशन के दौरान डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स का कुल 751हे0 क्षेत्र तथा भलुआ माइन्स से सम्बन्धित 643.433 हे0 क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला की परिसम्पत्ति मानते हुए विज्ञप्ति किया गया। विज्ञप्ति में यह उल्लेख किया गया कि वन भूमि में निहित खनन पट्टे का नवीनीकरण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानो के अनुरुप भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा—निर्देश के कम में आवष्यक र्कावाही करने के उपरान्त किया जायेगा। तत्कम में मा० उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला के लिक्विडेशन की कार्यवाही समाप्त की गयी तथा उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला की परिसम्पत्तियों को में0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 को हस्तान्तरित कर दिया गया।
- v. दिनांक—02.12.2007 को डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स के खनन पट्टे के कुल क्षेत्रफल 751हे0 में से धारा 4 में अधिसूचित वन भूमि 380.635हे0 को छोड़कर गैर वन भूमि 370.365हे0 भूमि को 01.05.1996 से 20 वर्ष की अवधि तक के लिए उ०प्र० राज्य सीमेन्ट निगम लि0 के पक्ष में कतिपय षर्तों के अधीन नवीनीकृत किया गया।

इसी प्रकार दिनांक—07.11.2007 को भलुआ लाईम स्टोन माईन्स के खनन पट्टे का कुल क्षेत्रफल 643.433हे0 में से धारा 4 में अधिसूचित वन भूमि 50.606हे0 को छोड़कर शेष 592.827हे0 भूमि को 08.11.2002 से 20 वर्ष की अवधि तक के लिए उ०प्र० राज्य सीमेन्ट निगम लि0 के पक्ष में कतिपय शर्तों के अधीन नवीनीकृत किया गया।



उक्त कार्यवाही के दौरान यह अपेक्षित था कि डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स एवं भलुआ लाईम स्टोन माईन्स के वन भूमि पर खनन किये जाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

- vi. किन्तु में0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के स्थान पर डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स के अन्दर 380. 435हे0 एवं भलुआ माइन्स के 19.657 वन भूमि को धारा 4 से पृथक किये जाने हेतु वन वन्दोवस्त अधिकारी/जिला जज के न्यायालय में क्लेम दाखिल किया गया तथा उक्त भूमि को धारा 4 में विज्ञापित वन भूमि से पृथक करा लिया गया तथा उ०प्र0 शासन द्वारा दिनांक—12.09.2008 को, वर्ष 2008 में ग्राम—कोटा का धारा 20 की अधिसूचना निर्गत कर वन वन्दोवस्त अधिकारी/जिला जज द्वारा पारित निर्णयों को स्वीकार कर लिया गया। जिसके फलस्वरुप डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स एवं भलुआ लाईम स्टोन माईन्स में कुल 400.092हे0 वन भूमि को गैर वन भूमि का दर्जा प्राप्त हुआ।
- vii. प्रश्नगत प्रकरण में मा० सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष योजित रिट याचिका संख्या 2469/2009 को मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली को स्थानान्तरित किया गया तथा उक्त याचिका एफ०ए० संख्या 1166/2015 में परिवर्तित हो गयी, जिसमें पारित निर्णय दिनांक—04.05.2016 को मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा अपर जिला जज/जिला जज द्वारा भूमि को धारा 4 से पृथक किये जाने सम्बन्धी निर्णयो को निरस्त कर दिया गया तथा उ०प्र० सरकार को प्रश्नगत क्षेत्रों का आरक्षित वन में सम्मिलित करते हुए, पुनः संषोधित धारा 20 की अधिसूचना जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- viii. तत्पश्चात में० जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही को त्वरित करने हेतु मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष एम०ए० संख्या 471/2016 योजित किया गया। जिसमें दिनांक—30.05.2016 को निर्णय पारित कर प्रश्नगत क्षेत्र से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 06 माह के अन्दर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु उ०प्र० सरकार को निर्देशित किया गया।
- ix. इस प्रकार में0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स में धारा ४ से पृथक कराया गया 380.435हे0 भूमि एवं भलुआ माईन्स कि 19.657हे0



वन भूमि, संशोधित धारा 20 की अधिसूचना निर्गत हो जाने के उपरान्त आरक्षित वन भूमि का दर्जा प्राप्त कर चुका है।

- ४. उल्लेखनीय है कि मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेष दिनांक—30.05.2016 में मे० जे०पी० एसोसिएट्स, लि० को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देष दिया गया था। किन्तु वर्ष 2017 में जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों को में० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० को विक्रय कर दिया गया। अतः वर्तमान में में० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
- xi. वर्तमान प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेन्सी (में० अल्ट्राटेक सीमेन्ट, लि०) द्वारा डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स में स्थित समस्त वन भूमि 380.635हे० में से इकोसेन्सिटिव जोन से 01 किमी० के अन्दर पड़ने वाले क्षेत्र को छोड़कर 294.082हे० भूमि पर तथा भलुआ लाईम स्टोन माईन्स में स्थित समस्त वन भूमि 50.606हे० कुल 344.688हे० आरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी (खनन) कार्य किये जाने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया है।
- xii. खनन कार्य हेतु प्रस्तावित कुल 344.688हे0 क्षेत्र पूर्व में उ०प्र० राज्य सीमेन्ट निगम लि0 व उ०प्र० खनिज विकास निगम लि0 के पक्ष में पूर्व में स्वीकृत लीज का भाग है।
- xiii. खनन कार्य हेतु प्रस्तावित आरक्षित वन क्षेत्र मीके पर हरा—भरा जंगल के रूप में पाया गया तथा विभिन्न व्यास श्रेणी के भिन्न—भिन्न प्रजाति के कुल 16534 वृक्ष जो मौके पर मौजूद होना प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा द्वारा बताया गया, जिसका नियमानुसार छपान कर कटान किया जाना है तथा जगह—जगह पर खनन कार्य, बारुद गोदाम, मिक्सिंग शेड, कम्प्रेसर हाउस इत्यादि का निर्माण हुआ पाया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

क0सं0	कार्य / क्षेत्र का विवरण	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे०में)
1	खनन कार्य	3303,3196, 3205, 3201, 5844	26.485
2	बारुद गोदाम	5857	0.015
3	मिक्सिंग शेड	3211	0.001
4	कम्प्रसर हाउस	3211	0.024
5	रेस्ट शेल्टर	3211	0.008
6	सोन नदी से खनन कार्य, कारखाना, एवं आवासीय परिसर हेतु पानी की पाईप लाईन का निर्माण	3203, 3204, 3211	0.0464
	योग:		26.579



उक्त गैर वानिकी कार्य के सम्बन्ध में। अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 द्वारा अवगत कराया गया है कि गैर वानिकी कार्य उ०प्र0 सीमेन्ट कारपोरेशन, लि0 द्वारा किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत 344.688हें0 वन भूमि पूर्व में स्वीकृत खनन पट्टों में सम्मिलित रही है तथा उक्त भूमि पर तत्समय में उ०प्र० राज्य सीमेन्ट निगम लिं0 व उ०प्र० खनिज विकास निगम लिं0 द्वारा खनन कार्य भी किया गया है, ऐसे में सम्बन्धित अधिनियमों, नियमों एवं शासनादेशों का अनुपालन करते हुए खनन कार्य हेतु अनुमित दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।

उपरोक्त उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों एवं तत्सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत सुसंगत होने की दशा में प्रश्नगत वन भूमि पर खनन कार्य किये जाने की अनुमित दिये जाने की संस्तुति की जाती है तथा प्रश्नगत प्रस्ताव की तीन प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव की 02 प्रति उच्च स्तर पर प्रेषित करने का कष्ट करें।

> (रमेश चीन्द्र झा) मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।



# FP/UP/MIN/4-7074/2020

(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक या वन विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाना है)

टिप्पणी के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यर्थौं के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और विशेष सिफारिशें।	
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट रूप से समीक्षा की जानी चाहिए और उस पर टिप्पणियाँ दी जानी चाहिए)	टर्ट, किर्मुर के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है।

दिनांक: 2718/21

स्थान:

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम Anupam Gupta Forest Conservation Act. 1980 U.P. Lucknow

सरकारी मोहर



#### भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधि कारीको अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मै0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 डाला, सोनभद्र द्वारा कजरहट (डाला) लाईम स्टोन माइन्स के अन्तर्गत 294.082 है0 आरक्षित वनभूमि एवं भलुआ लाईम स्टोन माइन्स के अन्तर्गत 50.606 है0 आरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 344.688 है0 आरक्षित वनभूमि पर खनन कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत 10 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने एवं बाधक 16534 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/माईन/47074/2020)

राज्य सरकार की सिफारिशें – पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1401/81-2-2021-800(155)/2021 दिनांक 21 सितम्बर, 2021 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूट टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

( Signed by अाशीय तिवारी) नाम और पदनीम सरकारी Reason: Approved

> (आशीप तिवारी) सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।





#### **COMPLIANCE OF CONDITION NO-2**

#### UNDERTAKING

We, UltraTech Cement Limited (Unit: Dalla Cement Works- User Agency) hereby confirm that, we have submitted Forest Clearance Proposal No-FP/UP FP/UP/MON/47074/2020 under section 2 (ii) of Forest Conservation Act 1980 over an extent of 344.688 ha forest land for Mining works proposed in village Billi- Markundi, Kota and Padrach, Tehsil-Obra, district Sonbhadra U.P.

We hereby undertake that Ultra Tech Cement Limited will not do any mining or any other activities in Kaimoor ESZ area of 92.60ha i.e. (involving 68.963 ha forest land and 23.637 ha non-forest land) falling within the Eco sensitive zone of Kaimoor Wildlife Sanctuary.

Place: Lucknow

Date: 09 03 3034

For UltraTech Cement Limited

(Authorized Signatory



Regd. Office: 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093, Tel.: +91 22 66917800



#### **COMPLIANCE OF CONDITION NO-4**

#### **UNDERTAKING**

We UltraTech Cement Limited (Unit: Dalla Cement Works- User Agency) hereby confirm that, we have submitted Forest Clearance Proposal No-FP/UP FP/UP/MON/47074/2020 under section 2 (ii) of Forest Conservation Act 1980 over an extent of 344.688 ha forest land for Mining works proposed in village Billi-Markundi, Kota and Padrach, Tehsil-Obra, district Sonbhadra U.P.

We hereby undertake that Ultra Tech Cement Limited shall bear the cost for preparation and implementation of Wildlife Mitigation Measures Plan for Kaimoor Wildlife Sanctuary in the interest of Conservation of flora & fauna, to the protection and development of Forest area for sustainable mining works.

Place: Lucknow


Date: 09 07 | 2024

For UltraTech Cement Limited

(Authorized Signatory



Google Earth





#### **ANNEXURE - 3**

#### UNDERTAKING FOR CA LAND

We, UltraTech Cement Limited (Unit: Dalla Cement Works- User Agency) hereby confirm that, we have submitted Forest Clearance Proposal No-FP/UP FP/UP/MON/47074/2020 under section 2 (ii) of Forest Conservation Act 1980 over an extent of 344.688 ha forest land for Mining works proposed in village Billi-Markundi, Kota and Padrach, Tehsil-Obra, district Sonbhadra U.P.

We hereby, undertake that Ultra Tech Cement Limited will abide by the revised guidelines of MoEF&CC (GOI) dated 21/08/2023: "Provisions and guidelines on compensatory afforestation - reg." Point no. 4(ii) which states that "In case the non-forest land or portion thereof provided by the user agency is not fit for raising compensatory afforestation of a specified density, then additional compensatory afforestation shall be raised on a degraded notified or unclassed forest land under the management control of the Forest Department which is twice in size of such shortfall in the given compensatory afforestation land and the user agency shall also bear the additional cost on such account."

Place: Lucknow

Date: 09/03/2024

For UltraTech Cement Limited

(Authorized Signator





# JUSTIFICATION FOR LOCATING THE PROJECT IN FOREST LAND AND DETAILS OF ALTERNATIVE EXAMINED

Dalla Cement Works (DCW) along with captive mine was acquired from Jaiprakesh Associates Limited (JAL) by Ultratech Cement limited pursuant to scheme of arrangement Sectioned by NCLT bench at Mumbai on 15.02.2017 and NCLT bench at Allahabad on 02.03.2017 respectively, the Scheme was made effective from 29.06.2017 by the resolution passed at meeting of Board of directors of Ultratech and JAL held on 29.06.2017 respectively, earlier JAL has acquired the Dalla Cement Factory along with its captive mines through sale of asset of Ultra Pradesh State Cement Corporation Limited (UPSCCL) (in Liquidation) as approved by the order dated 11-10-2006 read with order dated 12.10.2007 of the Honorable Allahabad high Court. Kajarahat Limestone Mine & Bhalua Limestone Mines as part of MOI whose non forest area is only available for mining and lease of the forest area has not been grated /executed till date. The details of limestone reserve which are available in non-forest area of the above mine are given in the following table:

SI, No.	Mines	Available Area as per MOI (In ha.)	Area of lease of non-forest area (in ha.)	reserve on non-forest area (in MT)	Area of lease in forest area (in ha.)	Limestone reserve on forest area
1.	Kajarahat	751.000	370.365			(in MT)
2	Bhalua	the second section and the second section is the second section of the second section		NIL	380.635	135.70
		643.433	592.827	5.00	50.606	10.45
	Total	1394.433	963.192	5.00	431.241	146.15

Out of total forest land, the following area is applied for diversion -

Lease	Total Area (ha)	Non-Forest (ha.)	Forest (ha.)	Forest Area in ESZ (ha.)	River (ha.)	FC (ha.)
Bhalua	643.433	592.827	50.606	0		
Kajrahat	751.000	370.365	380.635	68,963	17.500	50.606
TOTAL	1394.433			-	17.590	294,082
- IOIAL	1374,433	963.192	431.241	68.963	17.590	344.688

It seems that 96.69% limestone are blocked because of non-availability of the forest land, which was under possession of the UPSCCL, earlier when DCW was functioning and the mining activity were going on since 1976. Thereafter, the mine stood transferred to JAL pursuant to the order dated 12.10.2007 on the Honorable Allahabad High Court as stated above. Therefore, this forest land required to transfer to UltraTech Cement Limited to conduct mining operation for which DCW has been established and the same limestone is required for Dalla Super Cement Works, which was established keeping in mind availability of total limestone reserve.

The forest land of Kajarahat & Bhalua limestone mines is 380.635 + 50.606 = 431.241 ha. M/s UltraTech Cement Limited have applied total 344.688 ha for diversion of forest land, excluding the Eco-sensitive Zone (68.963 ha.) and Kanhar River Area (17.590 ha.)

ग्गी वनाधिकारी गेवस वन प्रभाग

ओबरा-सोनभट

For Ultra Tech Cement Limited

(Adhorised Signatory)



**ANNEXURE - 5** 

भारतसरकार खानमंत्रालय भारतीय खानब्यरो क्षेत्रीय खाननियंत्रक का कार्यालय



GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF MINES INDIAN BUREAU OF MINES O/O THE REGIONAL CONTROLLER OF MINES

দাত Ho- UP/Sonbhadra/ Limestone / MPLN/MOD-02/2022-23

जबलपुर, दिनांक: 13/04/2022

प्रति.

Shri K.C.Jhanwar, Nominated Owner

M/S Ultra Tech Cement Ltd.

B'wing, Ahura Center, 2nd Floor, Mahakali

Caves Road, Andheri (E),

Mumbai -400093. Maharashtra

E-mail: ajit.ostwal@adityabirla.com,kailashjhanwar@ adityabirla.com

विषय:--उ०प्र० राज्य के सोनभद्र जिले में स्थित आपकी भलुआ लाइमस्टोन खान (क्षेत्र 592.827 है०) के एमसीआर— 2016 केनियम 17 (3) के अंतर्गत जमा किए गए अनुमोदित खनन योजना में संबोधन का

संदर्भ :-1) आपका पत्र जिसकी कार्यालय में प्राप्ति दि0-15/03/2022, भारतकोश द्वारा जमा प्रक्रिया शुल्क की रसीद संख्या 2402220019977,दि० 24/02/2022 conformed on 21/03/2022

2) इस कार्यालय का समसंख्यक संवीक्षा-पत्र दि0-29/03/2022

3) आपका / क्यू पी० का पत्र (प्राप्ति दि 11/04/2022)

महोदय.

In exercise of the powers conferred under Clause (b) of Sub-section (2) of Section 5 of Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 read with Government of India Order no. S.O.1857(E),dated 18/05/2016, I hereby Approve the above said Modification in approved Mining Plan submitted under Rule 17(3) of Minerals (Other than Atomic and Hydrocarbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016. This approval is subject to the following conditions:

The Modification in Approved Mining Plan is approved without prejudice to any other law applicable to the mine area from time to time whether made by the Central Government, State Government or any other authority and without prejudice to any order or direction from any court of competent jurisdiction.

The proposals shown on the plates and / or given in the document is based on the lease map / sketch submitted by the lessee and is applicable from the date of approval.

It is clarified that the approval of aforesaid Modification in Approved Mining Plan does not in any way imply the approval of the Government in terms of any other provision of Mines & Minerals

(Development & Regulation) Amendment Act, 2015, or the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 & its subsequent amendments and any other laws including Forest (Conservation) Act, 1980, Environment (Protection) Act, 1986 or the rules made there under, Mines Act, 1952 and Rule & Regulations made there under.

Indian Bureau of Mines has not undertaken verification of the mining lease boundary on the ground and does not undertake any responsibility regarding correctness of the boundaries of the Leasehold shown on the ground with reference to lease map & other plans furnished by the lessee.

- At any stage, if it is observed that the information furnished, data incorporated in the document are incorrect or misrepresent facts, the approval of the document shall be revoked with immediate effect
- This approval is restricted in respect of proposals given in the document for the period 2022-23 to 2026-27 with validity up to 31/03/2027 from the date of approval, subject to all other statutory
- The performance security for the amount of Rs. 9,41,80,000/-(Nine Crore Forty One lakh Eighty Thousand only ) is valid upto 31/07/2022. In this regard, intimation for furnishing the performance security for the next five year w.e.f. 01/08/2022 to the State Govt. shall be given to this office positively. The approval for next five year is conditionally accorded subject to the submission of performance security for extended period before 30/07/2022, failing which the approval shall stand revoked without issuing any separate order in this regard.-2-

A drone survey of the leased area and up-to 100 metres outside the lease boundary shall be carried out and processed output [Digital Elevation Model (DEM) and Orthomosaic ] images obtain from such survey or any other format as may be specified by the Indian Bureau of mines in this regard shall be submitted to this office and the Controller General, IBM as per rule 34A of MCDR Amendment Rules, 2021 within six (6) months from the date of notification of these rules,



Waste/ Overburden disposal from the mining lease area as minor mineral for the period 2023-24, onwards shall be done only after seeking permission under rule 12(1)(k) of MCR,2016.

संलग्न:-अनुमोदित खनन् योजना में संशोधन का अनुमोदन की एक प्रति के साथ।

भवदीय,

( पुखराज नेणिवाल ) क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो, जबलपुर

#### प्रतिलिपि :--

1) निदेषक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेषालय, खनिज भवन, 27/8 राम मोहन राय मार्ग, लखनऊ (उ०प्र०) 226001 को अनुमोदित खनन् योजना में संषोधन की एक प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

2) श्री अतुल गेहराना द्वारा अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड डाला सेमेंट फैक्ट्री पोस्ट आफिस डाला जिला सोनभद्र(उ०प्र०) को सूपनार्थ प्रेषित E-mail:- <u>atul.gahrana@adityabirla.com</u>

3) Shri Punit Nigam, Holtech Consultant Pvt. Ltd.; Holtech Centre A Block, Sushant Lok, Gurgaon-122001Haryana.को सूपनार्थ प्रेषित E-mail:-pn@holtecnet.com

> ( पुखराज नेणिवाल) क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो, जबलपुर



#### रजिस्टर्ड पार्सल द्वारा

ANNEXURE - 6

भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय



GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF MINES INDIAN BUREAU OF MINES O/O THE REGIONAL CONTROLLER OF MINES

जबलपुर, दिनांक : 13/10/2021

फाo सo - MP/Sonbhadra/Limestone/MPLN/MOD-14/2021-22

प्रति,

M/s Ultratech Cement Limited, "B" Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai – 400 093 (Maharashtra) E-mail: - kailash.jhanwar@adityabirla.com

विषय:- 30प्र0 राज्य के सोनभद्र जिले में स्थित आपकी डाला (कजराहट) लाइमस्टोन खान (क्षेत्र 370.365 है0) के एमसीआर— 2016 के नियम 17 (3) के अंतर्गत जमा किए गए अनुमोदित खनन् योजना के लिए प्रस्तुत संशोधन का अन्मोदन।

संदर्भ :-1) आपका पत्र क्रमांक - UTCL/MINES/DLCW/2021/02, दि0 20 / 08 / 2021, कार्यालय में प्राप्ति दि0-26/08/2021, डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा प्रक्रिया शुल्क की रसीद संख्या 3007210001723, दि0 30/07/2021

2) इस कार्यालय का समसंख्यक संवीक्षा-पत्र दि०- 01/10/2021

. 3) आपका/क्यू पीo का पत्र क्रमांक — कुछ नहीं, (प्राप्ति दिo 12/10/2021)

महोदय,

In exercise of the powers conferred under Clause (b) of Sub-section (2) of Section 5 of Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 read with Government of India Order no. S.O.1857(E),dated 18/05/2016, I hereby Approve the above said Modification in Approved Mining Plan submitted under Rule 17(3) of Minerals (Other than Atomic and Hydrocarbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016. This approval is subject to the following conditions:

The Modification in Approved Mining Plan is approved without prejudice to any other law applicable to the mine area from time to time whether made by the Central Government, State Government or any other authority and without prejudice to any order or direction from any court

of competent jurisdiction.

The proposals shown on the plates and /or given in the document is based on the lease map /sketch

submitted by the lessee and is applicable from the date of approval.

It is clarified that the approval of aforesaid Modification in Approved Mining Plan does not in any way imply the approval of the Government in terms of any other provision of Mines & Minerals 3 (Development & Regulation) Amendment Act, 2015, or the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 and any other laws including Forest (Conservation) Act, 1980, Environment (Protection) Act, 1986 or the rules made there under, Mines Act, 1952 and Rule & Regulations made there under.

Indian Bureau of mines has not undertaken verification of the mining lease boundary on the ground and does not undertake any responsibility regarding correctness of the boundaries of the leasehold

shown on the ground with reference to lease map & other plans furnished by the lessee. At any stage, if it is observed that the information furnished, data incorporated in the document are incorrect or misrepresent facts, the approval of the document shall be revoked with immediate 5

The Financial Assurance furnished by you for Rs. 27,00,000/- (Rs. Twenty-Seven Lakh only) is valid up to 31/03/2026 and next Financial Assurance shall be submitted on or before 31/03/2026. 6

This approval is restricted in respect of proposals given in the document for the period 2021-22 to 2025-26 with validity up to 31/03/2026 from the date of approval, subject to all other statutory 7 clearances.



8 If the approval conflicts with any other law or court order/direction under any statute, it shall be revoked immediately.

संलग्न:- अनुमोदित खनन् योजना की एक प्रति के साथ।

भवदीय,

( पुखराज नेणिवाल )। १० | क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो, जबलपुर

पता : योजनाकमांक 11, कमलानेहरू नगर, जबलपुर 482002 (म०प्र०)/फोन2416780 / 2416589 / 2416231 फैक्स0761-2416780 Address : Scheme No 11, Kamla Nehru Nagar, Jabalpur 482002 (M.P) Phone 2416780 / 2416589 241631 Fax : (0761) 2416780 E Mail : ro.iabalpur@ibm.gov.in

